120 (8)

रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (RERA)
नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्र.प.4(1)आरजे / रेरा / कार्यालय आदेश / 2017 / डी– 1027 जयपुर, दिनांक 20.3.2018

आदेश

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) एक्ट, 2016 की धारा 3 के तहत योजना क्षेत्र से परे विकसित की जाने वाली आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं जो कि प्राधिकरण के आदेश दिनांक 21.12.2017 से पूर्व प्रारम्भ की जा चुकी हैं को तीन माह की अवधि के भीतर ऐसी परियोजनाओं के प्रत्येक संप्रवर्तक (Promoter) को अपनी परियोजना को रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) एक्ट, 2016 के अंतर्गत पंजीकृत करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। यह निर्धारित अवधि दिनांक 21.03.2018 को समाप्त हो चुकी है। प्राधिकरण के आदेश दिनांक 21.12.2017 के क्रम में पूर्व में स्वीकृत अवधि को दिनांक 21.04.2018 तक मय पेनल्टी के बढ़ायी जाती है। दिनांक 21.03.2018 के पश्चात ऑनगोईग प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण हेतु निम्नानुसार पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जाता है :–

दिनांक 21.03.2018 के पश्चात् दिनांक 21.04.2018 तक आवेदन करने पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क के साथ–साथ निर्धारित पंजीकरण राशि के बराबर शास्ति (Penalty) और ली जावेगी।

(प्रदीप कपूर)
रजिस्ट्रार,
रेरा, राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रेरा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. रजिस्ट्रार, रेरा, नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
रजिस्ट्रार,
रेरा, राजस्थान